



पत्र सं०: 505 / सी0एम0यू0(डी0) / एस0ई0-1 / 2026

दिनांक : 02 फरवरी, 2026

विषय : उ0प्र0पा0का0लि0 एवं वितरण कम्पनियों में स्क्रेप के चिन्हीकरण एवं निस्तारण हेतु नीति में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।

उपरोक्त विषयक उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्रांक 3415/सी0एम0यू0(डी0) / एस0ई0-1 / 2025 दिनांक 27.11.2025 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं वितरण कम्पनियों में स्क्रेप के चिन्हीकरण एवं निस्तारण हेतु स्क्रेप नीति निर्गत की गई थी।

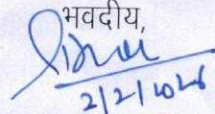
उक्त स्क्रेप नीति के प्रस्तर 3.2 (ii) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान प्रस्तर 3.2 (ii)	संशोधित प्रस्तर 3.2 (ii)
(ii) सामग्री का विक्रय स्वीकार होने के पश्चात् नीलामी के दिन ही सफल फर्म द्वारा मूल नीलामी मूल्य का 15 % भुगतान किया जायेगा। अग्रेतर 35 % भुगतान अगले 03 दिवसों (Calendar Days) में किया जायेगा। उक्त धनराशि (15%+ 35% = 50%) जमा होने के पश्चात् बिना किसी विलम्ब के सेल आर्डर निर्गत किया जायेगा। क्रेता फर्म द्वारा शेष 50% देय धनराशि का भुगतान समस्त करों/जी.एस.टी. सहित, सेल आर्डर निर्गत होने की तिथि से 04 दिवसों (Calendar Days) के अंदर एकमुश्त जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार नीलामी की तिथि के सात (0+3+4) दिनों (Calendar Days) में पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	3.2 (ii) a. सामग्री का विक्रय अपरान्ह 01:00 बजे तक स्वीकार होने के पश्चात् नीलामी के दिन ही सफल फर्म द्वारा मूल नीलामी मूल्य का 15 % भुगतान किया जायेगा। उदाहरण:- यदि किसी लॉट की नीलामी 12:45 बजे पूर्ण होती है, तो संबंधित सफल बोलीदाता को उसी दिन कुल नीलामी मूल्य का 15% जमा करना होगा। अग्रेतर 35 % भुगतान अगले 03 दिवसों (3 Calendar Days) में किया जायेगा। उपरोक्तानुसार (15%+ 35% = 50%) जमा होने के पश्चात् बिना किसी विलम्ब के सेल आर्डर निर्गत किया जायेगा। क्रेता फर्म द्वारा शेष 50% देय धनराशि का भुगतान समस्त करों/जी.एस.टी. सहित, सेल आर्डर निर्गत होने की तिथि से 04 दिवसों (4 Calendar Days) के अंदर एकमुश्त जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार नीलामी की तिथि के सात (0+3+4) दिवसों (7 Calendar Days) में पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाएगा। सामग्री का विक्रय अपरान्ह 01:00 बजे के उपरान्त स्वीकार होने पश्चात् सफल फर्म द्वारा नीलामी के अगले दिन (1 Calendar Day में) नीलामी मूल्य का 15% भुगतान किया जाएगा। अग्रेतर 35% भुगतान अगले 02 दिवसों (2 Calendar

[Signature]
21/21/2026

	Days) के भीतर किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कुल 50% (15% + 35%) धनराशि जमा होने के पश्चात् बिना किसी विलम्ब के सेल ऑर्डर निर्गत किया जाएगा। उदाहरण:- यदि नीलामी दिनांक 05 फरवरी, 2026 को 13:30 बजे पूर्ण होती है, तो सफल बोलीदाता द्वारा 15% धनराशि, अगले दिन यानि कि 06 फरवरी, 2026 तक तथा 35 प्रतिशत धनराशि 08 फरवरी, 2026 तक जमा किया जायेगा। क्रेता फर्म द्वारा शेष 50% देय धनराशि का भुगतान, समस्त करों/जी.एस.टी. सहित, सेल ऑर्डर निर्गत होने की तिथि से 04 दिवसों (4 Calendar Days) के भीतर एकमुश्त किया जाएगा। इस प्रकार नीलामी की तिथि से कुल सात (1+2+4) दिवसों (7 Calendar Days) में पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाएगा।
--	--

उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्रांक 3415/सी0एम0यू0(डी0)/एस0ई0-1/2025 दिनांक 27.11.2025 द्वारा निर्गत स्क्रेप के चिन्हीकरण एवं निस्तारण नीति की अन्य समस्त नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

 21/11/24
 (ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
 निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ। [chairman@uppccl.org]
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0), उ0प्र0 पा0का0लि0 [director_p@uppccl.org/directorfin@uppccl.org/directord@uppccl.org/directorcomm@uppccl.org/directorc@uppccl.org/directorit@uppccl.org/]
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/ अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (भंडार), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता (वेब), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।